उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

एस0ए0 नं0-02/2019-20

शंकर पासवान

बनाम्

असहदुल हक एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

21/09/19

प्रविप्टि विन्दु पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता शंकर पासवान, पे0–वालगोविन्द पासवान सा0–दिग्घी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं0–01/2015–16 आदेश दिनांक–25.01.2019 के विरूद्ध द्वितीय अपील वाद दायर कर अपील आवेदन को अंगीकार करने हेतु अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा दिग्घी न0–441 जमावंदी सं0–83 रकवा 26–18–04 धूर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मखरू हजरा, पे0–गौरी हजरा वो कारू हजरा, पे0–घोंटी हजरा के नाम से दर्ज है। जमावंदी रैयत मखरू हजरा को एक पुत्र वालगोविन्द हजरा हुए। बालगोविन्द हजरा को पाँच पुत्र क्रमशः शंकर पासवान(अपीलकर्त्ता), कैलाश पासवान, विलास पासवान, चन्द्र मानु पासवान, जनार्धन पासवान एवं एक पुत्री जानकी देवी हुए। जमाबंदी रैयत माखरू हजरा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालगोबिन्द हजरा जमीन पर दखलकार हुए एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पाँच पुत्र उस जमीन के अलावे अन्य जमीन पर भौतिक रूप से दखलकार हुए। उत्तरवादी असंख्य एवं आर्थिक रूप से काफी मजवूत है। उत्तरवादी ने अपीलकर्त्ता के उक्त जमाबंदी के अर्न्तगत दाग नं0–106, 109, 111 एवं 114 रकवा 04–01–01 धुर जमीन का बिना भौतिक दखल हुए गलत तरीका से अवैध कागजात बना लिया है एवं दावा क़िया गया कि उत्तरवादी को उक्त जमीन कुर्फा से 1940 ई0 में प्राप्त हुआ है तथा उनके द्वारा कपटपूर्ण तरीके से दायर टाईटल सूट न0–270/68 का भी दावा आधार बनाया गया है और उस कपटपूर्ण तरीके से तैयार किये गये कागजात के आधार पर वर्तमान तसदीक सर्वे में अपना दर्ज करने के लिए प्रयास किया गया, अपीलकर्त्ता को पता चला तब अपीलकर्त्ता ने उक्त जमीन से उत्तरवादी को उच्छेद करने के लिए बंदोवस्त पदाधिकारी के न्यायालय में उच्छेदी वाद सं0–79/96 दायर किया गया एवं उक्तवाद दोनों पक्षों के

सुनवाई के पश्चात बंदोवस्त पदाधिकारी के द्वारा अपीलकर्त्ता के उच्छेदी वाद के विरूद्ध आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध रे0 मीस रिविजन वाद सं0–287/97–98 दायर किया है। उसी क्रम में अपीलकर्त्ता को मुटेशन केश नं0–15/3/1970–71 के सम्बंध में भी जानकारी प्राप्त हुआ और उक्त मुटेशन केश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के न्यायालय में अपीलवाद दायर किया गया। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा ने बिना गुणदोष पर विचार किये बिना ही अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन किया खारिज है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य है। उन्होंने अपील आवेदन को अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में विज्ञ सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त हुआ है। विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा दिनांक–12.02.1972 को दाखिल खारिज किया गया। विज्ञ सरकारी वकील का आगे मंतव्य है कि अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय आयुक्त, संताल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित आर0एम0ए0 नं0–287/1997–98 दायर किया गया है, जो लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, महागामा के मुटेशन वाद सं0–15/3/1970–71 के आदेश दिनांक–12.02.1972 के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0–01/15–16 दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, महागामा के द्वारा आदेश दिनांक–25.01.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा अपने अपील आवेदन में यह तथ्य को लाया गया है कि माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में मामला लंबित है। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं विज्ञ सरकारी वकील के मंतव्य से भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन से सम्बंधित मामला आर0एम0आर0 नं0–287/97–98 माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का द्वितीय अपीलवाद प्रविष्टि बिन्दु पर अंगीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

DB No - 167
Date - 29/09/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:57:57 +05:30
Location: 192.168.29.8

उपायुक्त,
गोड्डा।

29/09/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

RMA No. 02-2019-20